पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित
मूल पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी
मे खारिज हो जाने के इस पत्रावली को
चलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
अतः पत्रावली कैंसल शुमार होकर मूल
पत्रावली के साथ नत्थी हो।